—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 121/2022

उनवान

1. मान सिंह पुत्र रतन सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. हेमलता पुत्री लाला
2. कमला पत्नी लाला,
3. प्रेमलता पुत्री लाला,
4. महेन्द्र,
5. विक्रम,
6. शक्ति पि0 लाला जाति रावत नि. चैनपुरा, नसीराबाद,
7. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा राजगढ, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
7 अनुपस्थित, 8 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.16 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हिस्से में है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। उक्त आराजी का वंर्किग खसरा नम्बर 2982 रकबा 0.16 वाद ने जरियें विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2002 को क्रय किया था। बंदोबसत विभाग द्वारा आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र बनाते समय खसरा नम्बर 1994 को पीछे अंकन करते हुये उसकी स्थित परिवर्तित कर दी व हाल खसरा नम्बर 1995 व 1996 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि है को सडक के पास अंकित कर दिया। हाल राजस्व मानचित्र में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को बेचान करने पर आमादा है। साथ ही वादी की खातेदारी आराजी को हडपने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र पूर्व अनुसार दुरूस्त कर भूमि का विधिवत विभाजन किया जावे व प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर ... हाल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नम्बर 1994 रकबा 0.16 लाला पुत्र कल्ला 1/2 हि. व प्रेमचन्द पुत्र मदनलाल 1/2 हि. दर्ज था। लाला पुत्र कल्ला जवाबकर्ता के पूर्वज है, जिनके द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान वादी को नही किया गया। उक्त खसरा नम्बर 1970–71 के अनुसार यथास्थान पर अवस्थित है। अतः वद पत्र सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आया वादी आराजी मुतनाजा पर विभाजन प्राप्ति व नक्शा दुरूस्ती का अधिकारी है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी मान सिंह के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

हाल खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.16 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण का कथन है कि उनके पूर्वज द्वारा वाद को भूमि का बेचान नही किया गया किन्तु आराजी मुतनाजा के तत्कालीन खातेदार प्रेमचन्द ने वादी को अपना 1/2 जरियें विक्रय पत्र बैचान किया है, जिस कारण वादी का आराजी मुतनाजा पर 1/2 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पउेगा। हाल खसरा नम्बर 1994 का वंर्किग खसरा नम्बर 2982 बना है। वंर्किग मानचित्र में वंर्किग खसरा नम्बर 2982 सडक से लगता हुआ अंकित है। हाल खसरा नमबर 1994 को सडक से दूर अंकित करते हुये हाल खसरा नम्बर 1995 व 1996 को सडक के पास कर दिया है जबकि वंर्किग खसरा नम्बर 2983 सडक से दूर अंकित है। हाल खसरा नम्बर 1994 में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का भी 1/2 हिस्सा निहित है अतः उक्त खसरा नम्बर का राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। हाल राजस्व मानचित्र में वंर्किग मानचित्र के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। वादी विभाजन व मानचित्र में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.16 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1994, 1995 व 1996 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे तथा खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.16 की आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मान सिंह बनाम हेमलता

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 121 / !2022
पेश करने की दिनांक – 12.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई सुखदेव चौधरी व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.16 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1994, 1995 व 1996 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे तथा खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.16 की आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक माह सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद